न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 36/2017 जिला दौसा

आम जनता ग्रम डेण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा जरिये –

1. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मीनारायण
2. दीपचन्द पुत्र रामभजन

जाति मीना, निवासी डेण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

अपीलान्ट

बनाम

1. गिरधारी पुत्र जौहरी
2. रामस्वरूप पुत्र जौहरी
3. जगदीश पुत्र जौहरी
4. कमल पुत्र जौहरी
5. हरकेश पुत्र जौहरी
6. मुकेश पुत्र जौहरी
7. दिनेश पुत्र जौहरी

समस्त जाति मीना, निवासी डैण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

8. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, दौसा , जिला सीकर ।
9. तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा ।

रेस्पोंडन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा
दिनांक 30.5.2017

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट प्रियंका पारीक

मित्र।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक– 9.4.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.5.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलान्ट आम जनता ग्रम डेण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा जरिये राजेन्द्र व दीपचन्द द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर ग्रम डैण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा सिवायचक भूमि में से 4 बीघा भूमि का आवंटन धोखे से श्रीया व सुकल्या पुत्र काडया ने करा लिया तथा उक्त खसरा नम्बर में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर सीधे ही जमाबन्दी संवत 2030 में अपने नाम करवाली जबकि इस बाबत किसी न्यायालय का

कोई निर्णय या आदेश नहीं था ओर ना ही कोई आवंटन नियमन ही हुआ था । उक्त श्रीया व सुकल्या की मृत्यु के बाद भूमि रेस्पोडेन्टस के नाम लगा दी जिनको उक्त भूमि में किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । उक्त भूमि चरागाह व वन विभाग की भूमि के पास है तथा ग्रमवासियों को चरागाह भूमि की आवश्यकता है इसलिये खसरा नम्बर 230/4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम हो रहे अंकन को दुरूस्त कर भूमि सिवायचक में दर्ज की जावे ।

अपीलार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र पर उप खण्ड अधिकारी सिकराय , जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.5.2017 द्वारा अप्रार्थीगण भूमि पर कई वर्षों से बदस्तूर विधिवत काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते रहने तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि अप्रार्थीगण के हक में आवंटनशुदा भूमि होने से उक्त भूमि के मालिक खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण है । प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना व सरोकार नहीं है तथा पैरोकार सरकार ने भी जवाब पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज करने का निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र धारा 136 सारहीन होने से खारिज किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी सिकराय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर मंजूर करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय का निर्णय दिनांक 30.5.2017 निरस्त किये जाने प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि संवत 2030 से पहले अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में 4 बीघा भूमि ही थी परन्तु संवत 2030 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 148 विरासत का हवाला देकर 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि ओर जोड दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की अनदेखी करते हुये अपीलान्ट्स की अपील खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर जवाब में 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि आवंटन होना अंकित किया है जबकि आवंटन 4 बीघा भूमि का ही हुआ था ओर 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थीगण को भूमि आवंटित होना बताकर अपीलार्थी की अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि भूमि 4 बीघा 6 बिस्वा सिवायचक थी जो अप्रार्थीगण के पूर्वजों के खाते में जोडी गई है, जिसे दुरूस्त कराने के लिये अपीलार्थी ने सार्वजनिक हित में प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश

प्रकरण के तथ्यों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स राजेन्द्र व दीपचन्द को आम जनता की ओर से मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है । राजेन्द्र व दीपचन्द जनता की ओर से मुकदमा करने के लिये अधिकृत भी नहीं है ओर इनके द्वारा मुकदमा करने की अनुमति भी नहीं ली है । रेस्पोंडेन्ट्स को विवादित भूमि आवंटित हुई थी और वे विवादित भूमि पर पूर्वजों के समय से ही काबिज काश्त है । अपीलान्ट्स के प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने तहसीलदार सिकराय से रिपोर्ट लेकर विवादित भूमि पर रेस्पोंडेन्ट्स का कब्जा काश्त होना मानते हुये अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट खारिज किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा संवत 2030 से पहले ग्रम डैण्डा, तहसील सिकराय, जिला दौसा स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 36 बीघा 13 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा भूमि ही रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजो को आवंटित होना एवं संवत 2030 की जमाबन्दी में नामांतरकरण संख्या 148 विरासत का हवाला देकर 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि ओर जोड देने के कारण दुरूस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय को प्रस्तुत किया था जिस पर उप खण्ड अधिकारी सिकराय ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 30.5.2017 पारित कर अप्रार्थीगण भूमि पर कई वर्षों से बदस्तूर विधिवत काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते रहने तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त होने से उक्त भूमि अप्रार्थीगण के हक में आवंटनशुदा भूमि होने से उक्त भूमि के मालिक खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण है । प्रार्थीगण का उक्त भूमि से कोई लेना देना व सरोकार नहीं है तथा पैरोकार सरकार ने भी जवाब पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 खारिज करने का निवेदन करने पर प्रार्थना पत्र धारा 136 सारहीन होने से खारिज किया है ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि ग्रम डैण्डा , तहसील सिकराय, जिला दौसा की जमाबन्दी संवत 2019 में आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 4 बीघा के खातदोर श्रीया, सूकल्या पुत्रान काल्या दर्ज था, लेकिन इसके बाद की जमाबन्दी वंत 2030 से 2033 में आराजी खसरा नम्बर 230/ रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 230/4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार श्रीया पुत्र काल्या हिस्सा 1/2 व जौहरी पुत्र सूकल्या हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसमें नामांतरकरण संख्या 148 का भी अंकन है । जमाबन्दी संवत 2043–46 में गिरधारी पुत्र जौहरी हिस्सा 1/2 दर्ज है । खसरा नम्बर 230/4

रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का अंकन श्रीया व जौहरी के नाम किस आधार पर हुआ, यह जॉच का विषय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की है , जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों के नाम अंकित भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 4 बीघा के अतिरिक्त खसरा नम्बर 230/4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में किस आधार पर दर्ज हुई, के संबंध में जॉच की जाकर एवं उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 30.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उप खण्ड अधिकारी सिकराय , जिला दौसा को रेस्पोंडेन्ट्स के पूर्वजों के नाम अंकित भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 4 बीघा के अतिरिक्त खसरा नम्बर 230/4 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में किस आधार पर दर्ज हुई, के संबंध में जॉच की जाकर एवं उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर